TENDER NOTICE

No. D.26011/03/2014-GA
Government of India
Ministry of Science & Technology
Department of Scientific & Industrial Research

Technology Bhawan,
New Mehrauli Road,
New Delhi-110016.
Dated 25 January, 2016.

TENDER NOTICE

Sub: Hiring of DLY cars (AC & Non-AC) for official use in the Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi – calling for quotations - reg.

Sealed quotations are invited from reputed Tours & Travel Operators/Agencies/Companies located in Delhi/New Delhi for concluding Annual Rate Contract for hiring of Chauffeur driven DLY taxis viz. Air Conditioned Small and Medium Cars etc. (*as given in Annexure-III*) for the official use of the Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi. The normal requirement of vehicle in the Department ranges from one to two vehicles daily and additional vehicles for additional requirement as and when it arises for a period of one year from the date of award of contract. which could be extended further on the same rates, terms & conditions, mutually agreed to the Deptt. and the service provider. The cars should be in good condition and conform to the relevant motor vehicles rules.

2. Offers of only those Service providing Operators/Agencies/Companies who hold a valid registration certificate issued by the Transport Department, Delhi Government/ State Government on the date of tender opening shall be taken into consideration. Offers of the unregistered firms shall not be entertained anyway.

3. Only those operators who have at least valid permits for 4(Four) DLY cars should quote their rates. Before finalizing the rates, their bonafide of possession of 4(Four) DLY cars shall be verified. In case it is found that the operators do not own the stipulated number of cars, the tender shall be rejected (attested photocopies of the R.Cs., Permits and Insurance must be enclosed with the tender).

4. The operator should be registered with the Central Excise Department and have a 15 digit Service Tax code and paying Service Tax.

5. The quotations should contain two parts, Technical Bid and Financial Bid. Technical and Financial Bid may be placed in separate sealed covers and thereafter both the covers should be placed in the third sealed cover superscribed as **'Quotations for Supply of DLY Cars'** and addressed to the Under Secretary (Admin.), Department of Scientific & Industrial Research, Room No. T-38, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016. Tenderer should invariably furnish **earnest money of ₹25,000/- (Rupees Twenty-five Thousand only)** by D.D./Pay Order/Bank Guarantee drawn at Delhi in favour of D.D.O., DSIR, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016, failing which the tender will not be entertained.

6. EMD will be returned to the unsuccessful tenderer without interest after the tender is finalized. EMD without interest to the successful bidder will be returned on receipt of performance security.

7. Erasing/mutilating of the rates quoted will render the tenders void. All alterations should be ink signed in full, otherwise the tender will not be considered.

25/1/16

8. The power to accept tender rests with the Department and the Department is not bound to accept the lowest rates. The Department will not entertain any request of the vendors for revision of rates during the tenure of the contract unless and until it becomes inevitable.

9. The Department reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason thereto. The Department also reserves the right to accept any tender as a whole or any part of it.

10. The tender/contract is further subject to the terms and conditions attached at **Annexure-I.**

11. This 'Tender Document' can be downloaded from the Department's website www.dsir.gov.in or can also be collected from the Section Officer (GA), Department of Scientific & Industrial Research, Room No. T-37, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.

12. Quotation should be submitted in the proforma, attached as **Annexure-II & III.**

13. Sealed quotation may be dropped in the Tender Box of DSIR kept near the Reception of Technology Bhawan latest by **26.02.2016 till 3.00 PM.** The quotations will be opened on the same day at 3.30 PM in the Technology Bhawan, New Delhi in the presence of tenderers/agencies or their authorized representatives who may wish to be present.

(Kuldip Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.26528472

Encls. As above.

To

1. As per list attached.
2. Website of eprocurement.
3. Notice Board, DSIR/DST

Copy to Shri V.K. Varun, Scientist 'F', for uploading this tender document on the website of DSIR.

(Kuldip Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

TERMS AND CONDITIONS

1. The Rate Contract shall be valid for a period of one year from the date of awarding the Contract. However, the Rate Contract may be extended for another one year on the same terms and conditions including rates subject to mutual agreement of both the parties. No guarantee can be given as to the minimum or actual services or actual services usage.

2. Normally, the private taxi services are required on all working days from Monday to Friday. However, the services may also be required on all the seven days in a week and also on National Holidays, if so required. The service provider shall be bound to deliver the services on all days under the Annual Rate Contract on the same terms & conditions.

3. The taxi hired shall be for the exclusive use of this Department and no sharing with any other user will be allowed under any circumstances.

4. The taxis offered for service should not be earlier than 1.4.2011 model which shall be maintained in excellent running condition. The taxi offered should be properly cleaned and washed daily before reporting for duty. In the event of DSIR not being satisfied with the quality of functioning of the taxi, its maintenance or cleanliness the bidder shall be bound to provide an alternate taxi immediately for acceptance by DSIR. The decision of this Department shall final in this regard and any objection by the Service Provider shall be deemed to be a violation of the Contract and shall render such Service Provider to termination of the Supply Contract with this Department.

5. The contract so awarded will commence from the date of consent given by the firm to the terms and conditions and deposit a bank guarantee of Rs.50,000/- in the prescribed format (**Annexure-IV**) as performance security from a commercial bank, which shall be allowed to be withdrawn on the expiry of the contract. The performance security should be valid for a period of 60 days beyond the period of **rate contract.** The contract so awarded can be terminated by the Department at any time without any notice or assigning any reason thereof. No compensation will be payable to the contractor on this account. The decision of the Department in the matter will be final and binding.

6. The normal working hours will be 10 hours for 100 kms. distance per day. Extra km. charges for extra time will be paid as per the terms of the finalized bid.

7. Prices allowed shall remain firm and fixed during the entire contract period and price variation on any account will not be admitted.

8. In case the services are not found satisfactory during the course of the contract, the security deposit shall stand forfeited. Dispute, if any, arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of the Delhi courts only.

9. In the event, a journey is commenced but not completed due to breakdown etc., DSIR will be at liberty to hire another taxi from the market. In such an event, any excess amount paid shall be deducted from the monthly bill of the Service Provider.

10. Firm should be in a position to provide standby cars within half an hour of reporting any breakdown to the contractor telephonically. All expenses are to be borne by the firm, in case of breakdown of a vehicle supplied. **A penalty of Rs.500/- per car per day shall be imposed if the transporter fails to provide car on any particular day.**

11. It shall be the responsibility of the Service Provider to provide a trained driver with each vehicle offered for service who should hold a valid driving licence throughout the entire Rate Contract period. The driver provided should be adequately trained in safe and defensive driving skills, courteous customer handling, operating device and possessing a good knowledge of the city streets and routes. It shall be the responsibility of the Service Provider to ensure the fitness level of the drivers. **The driver deployed should possess a good knowledge of operating portable fire extinguishers equipped in the taxi, traffic rules, escorting the customer to office/other building with torch at night or umbrella during rains etc.**

12. Security check verification of the driver provided shall be carried out by the Service Provider. However, DSIR will be free to conduct police verification of the driver at any time during the currency of the Rate Contract. The driver provided should have an unblemished record of accident free driving during the past five years. The driver should always be in uniform for the service and maintain courteous behavior with the users.

13. The driver made available should be provided with working mobile phone put in switch on mode during the period of service provided to DSIR. In case of any misbehavior by the driver or any other deficiency noticed in the working of the driver, the bidder shall provide an alternate driver within 24 hours. No dispute can be raised by the Service Provider about unsatisfactory service of the driver.

14. The driver provided should be educated enough to maintain logbook entries showing start kilometer, end kilometer, distance covered, time consumed for journey, places visited etc. for each occasion of journey signed by the office/staff traveling and duty slips signed by the officers/ staff on a day to day basis.

15. The cost of fuel, maintenance of the cars, mobile phone charges and salary of the driver etc. shall be borne by the Service Provider and no separate charges shall be allowed by DSIR.

16. Availability of fuel has to be ensured by the Service Provider. Any Excuse for non-availability of the taxi running on fuel type for which order is placed or admission of charges for running the vehicle on another fuel will not be acceptable.

17. Any losses or injuries due to road accident etc. arising during the course of engagement of the vehicles for the services to DSIR, shall be handled fully by the Service Provider, DSIR or its users will not be involved in any manner and any liabilities arising out of such accidents will be the responsibility of the Service Provider alone. The bidder/Service provider shall be bound to render complete indemnity to the DSIR/DSIR users against any liability criminal or civil arising on account of hiring taxis by DSIR.

18. Service Provider must ensure availability of proper and valid insurance at all times in respect of the vehicle as well as the insurance coverage to the passengers.

19. Toll tax, Entry tax, Permit fee for crossing border, if any, or parking charges will be borne by DSIR on surrendering the original receipts to DSIR along with monthly bills.

20. All relevant papers duly updated shall be available in the vehicle at all times during the service rendered to DSIR. The driver should not be changed frequently.

21. Service provider may submit their bills for the service rendered during the calendar month by the end of the first week of the ensuing calendar month.

22. The time and distance in respect of hired taxis will commence from Technology Bhawan, New Delhi and will terminate at Technology Bhawan itself.

23. Tempering of Km/mileage meter/actual distance covered, if any found, in course of duty will be taken seriously, accordingly contract of the erring service provider will be terminated and the security deposit forfeited.

24. Private vehicles will not be entertained for duties. Only vehicles holding commercial permit should be sent for duties. Registration number of the vehicle mentioned in the bill sent to this Department for payment, will be sent to the Transport Authority, Government of Delhi, whenever called for.

25. The service provider should have the capacity of repairing their vehicle in a short time. Whenever, there is any demand for extra vehicles from Department, they should be in a position to provide vehicles immediately.

26. The owner/service provider should be available on his own direct telephone (office as well as residence) and also on mobile phone so as to ensure to attend calls in emergency cases.

******

ANNEXURE – II

DSIR Tender Enquiry No.D-26011/03/2014-Estt. dated ________

TECHNICAL BID

S.No.	Particulars			
1.	Name of the Firm/Company/Agency			
2.	Address of Firm/Company/Agency			
3.	Telephone No.			
4.	Year of Registration/Incorporation Certificate to be enclosed			
5.	Number of Employees as on 1.4. 2015			
6.	Annual Turnover (along with proof) as on 31.3. 2015			
7.	15 Digits Service Tax Code No. and PAN No. (Proof to be attached)			
8.	Whether EMD of Rs.25,000/- enclosed in the form of Bank Draft/Pay Order (No. and Date)/Bank Guarantee.			
9.	Name and Address of the Departments/Ministries and other organizations where, at present, vehicles are engaged on regular/monthly basis (self certified and duly stamped copies of contract letter be attached)			
10.	Satisfactory Service Certificates from at least three Government Ministries / Departments/PSU/ Corporate			
11.	Name, Designation and Address of the person to whom all references shall be made regarding this tender			
12.	Telephone No.	Office:		
		Residence:		
13.	Mobile No.			
14.	Total number of valid DLY Taxis registered with the Agency			
15.	Name, Address and Telephone Number of the proprietor			

2. I/We accept the terms and conditions stipulated in your above quoted tender enquiry and agree to abide by the same.

Date:

Place :

(Signature of the Authorized person)

Name
Designation
Business Address
Seal

DSIR Tender Enquiry No.D-26011/03/2014-Estt. dated ________

Check List for Technical Parameters

S.No.	Documents to be submitted	Yes	No	Page Nos.	Remark
1.	Annual turnover of the firm for the last financial year				
2.	Details of the past experience of providing services in the same field in Government Ministries/ Departments/ PSUs/ Reputed Corporate Sectors, with contact persons and their telephone numbers				
3.	Satisfactory performance certificate from all Government Ministries/ Departments/ Major PSUs/ Corporate, where the transport services are being provided at present				
4.	Copies of certificates of Incorporation of firm, PAN No. and Service Tax registration				
5.	Total number of DLY Taxis/cars registered with the Agency				
6.	EMD of Rs.25,000/- in the form of DD/Pay Order/ Bank Guarantee				

ANNEXURE – III

DSIR Tender Enquiry No.D-26011/03/2014-Estt. dated ________

FINANCIAL BID

Regarding supply of DLY Taxis on hire basis Regular Basis

Sl. No.	Description	Amount (in Rs.) for AC Small Car. [In figures and in words] (e.g. Tata Indica / Maruti Wagon R)		Amount (in Rs.) for AC Medium Car. [In figures and in words] (e.g. Tata Indigo /Maruti Swift Dzire / SX4 / Hyundai Accent / Toyota Etios / Ford Ikon etc.)	
		Diesel	CNG	Diesel	CNG
1.	Charges for vehicle engaged on monthly basis. 2500 Kms./ 250 Hrs.				
2.	Daily (50 Kms. / 5 Hours)				
3.	Daily (100 Kms. / 10 Hours)				
4.	Per km charges for extra kms for sl. No.1,2 & 3.				
5.	Per hour rates for extra hours for sl. No. 1,2 & 3.				
6.	Night Stay charges (after 12.00 Midnight)				
	TOTAL				

2. I/We accept the terms and conditions stipulated in your above quoted tender enquiry and agree to abide by the same.

Date:

(Signature of the Bidder)
Name of the Taxi Stand/firm
Address and office
stamp/seal
with telephone number

करार सूचना

फा0सं0-डी-26011/03/2014- सा0प्र0
भारत सराकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग,
नई दिल्ली-110016
दिनांक 25 जनवरी, 2016

विषय: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए (वातानुकूलित एवं गैर-वातानुकूलित) डीएलवाई कारों को किराये पर लेने के संबंध में दरें आमंत्रित किया जाना।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए चालक सहित डीएलवाई टैक्सियां नामतः वातानुकूलित छोटी तथा मध्यम आकार की कार *(जैसा कि अनुबन्ध-III में दिया गया है)* किराए पर लेने के लिए वार्षिक दर करार को अन्तिम रूप देने के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित प्रतिष्ठित टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से मुहरबन्द करारएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग में प्रतिदिन एक से दो वाहनों की आवश्यकता होती है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त वाहन भी मंगवाए जा सकते हैं। यह करार इसे आबंटित किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए लागू रहेगी जिसे उन्ही दरों, नियम एवं शर्तो पर विभाग तथा सेवा प्रदाता की आपसी सहमति के पश्चात आगे बढ़ाया जा सकता है। कारें अच्छी दशा में तथा संबंधित मोटर वाहन नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

2. केवल उन्हीं सेवा प्रदाता कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों आदि के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनके पास टेंडर खोलने की तिथि को, दिल्ली सरकार/राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा। गैर-पंजीकृत फर्मों के प्रस्तावों को तुरन्त ही निरस्त कर दिया जाएगा।

3. केवल वे ही आपरेटर अपनी दरें उद्धृत करें, जिनके पास कम से कम 4(चार) डीएलवाई कारें हों। दरों को अंतिम रूप देने से पहले 4(चार) डीएलवाई कारों पर उनके वास्तविक स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपरेटरों के पास विनिर्दिष्ट संख्या में कारें नहीं हैं, तो उनकी करार निरस्त कर दी जाएगी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट तथा बीमा पत्र की सत्यापित छाया प्रतियाँ टेंडर के साथ संलग्न होनी चाहिए)।

4. आपरेटर केन्द्रीय उत्पाद विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास 15 अंकों का सेवा कर कोड होना चाहिए और वह सेवा कर का भुगतान कर रहा हो।

5. दरें तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के दो भागों में होंगी। तकनीकी दरें और वित्तीय दरें अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होंगी और तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर **"डीएलवाई कारों की आपूर्ति के लिए करार"** लिखा जाना चाहिए तथा यह **अवर सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कमरा सं0 टी-38, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016** के नाम से भेजा जाना चाहिए। करारदाताओं को **25,000/-रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की धरोहर राशि डी.डी.ओ, डीएसआईआर, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर के माध्यम से अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. करार को अंतिम रूप देने के पश्चात् असफल करार कर्ताओं को धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।

7. मिटाई गई/ उद्धृत दरों में काट-छांट किए गए टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों पर स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए, अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. टेंडर को स्वीकार करने की शक्तियां विभाग के पास हैं और विभाग न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। करार की अवधि के दौरान दरों के संशोधन के लिए विक्रेताओं के किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना अपरिहार्य न हो।

9. विभाग को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार है। विभाग को किसी भी टेंडर को पूर्णतः अथवा उसके किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का भी अधिकार है।

10. यह टेंडर/करार संलग्न **'अनुबंध-I'** में दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन भी होगा।

11. 'टेंडर दस्तावेज' विभाग की वैबसाईट www.dsir.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा अनुभाग अधिकारी (सा०प्र०), कमरा सं० टी-37, **टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग,** नई दिल्ली-110016 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. दरें **'अनुबंध-II एवं III'** में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

13. मुहरबन्द दरें दिनांक **26.02.2016 को सांय 3.00 बजे** तक टेक्नोलॉजी भवन के स्वागत कक्ष के पास रखे डीएसआईआर के टेंडर बॉक्स में डाली जा सकती हैं। दरें उसी दिन 3.30 बजे सांय को टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली में टेंडरकर्त्ताओं/एंजेंसियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, **जो उपस्थित होना चाहते हों,** की उपस्थिति में, खोली जाएंगी।

(कुलदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 26528472

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सेवा में

(संलग्न सूची के अनुसार) / डीएसआईआर वेबसाइट / नोटिस बोर्ड / सीएसआईआर

2 ई ज्ञापन वेबसाइट/

प्रतिलिपि: श्री वी.के. वरूण, वैज्ञानिक 'एफ', को डीएसआईआर की वैबसाईट पर करार दस्तावेज को अपलोड करने के लिए।

(कुलदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

नियम एवं शर्तें

1. यह दर करार इसे आबंटित किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। तथापि, इस दर करार को दोनों पक्षों के पारस्परिक सहमति से उन्हीं दरों के साथ तथा उन्हीं नियम एवं शर्तों पर एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम अथवा वास्तविक सेवाओं अथवा वास्तविक सेवा उपयोग के संबंध में कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती।

2. सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों पर प्राइवेट टैक्सी की सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर भी, ये सेवाएं सप्ताह के सभी सातों दिन और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी अपेक्षित होगी। वार्षिक दर करार के अंतर्गत सेवा-प्रदाता सभी दिवसों पर इन्हीं नियम एवं शर्तों पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

3. किराये पर ली गई टैक्सी केवल इस विभाग के उपयोग के लिए होगी और किसी भी परिस्थिति में सेवा-प्रदाता सहित किसी अन्य उपयोगकर्त्ता के साथ साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

4. सेवा के लिए प्रदान की जाने वाली टैक्सी 01.04.2011 से पहले का मॉडल नही होनी चाहिए तथा यह बेहतरीन हालात में होनी चाहिए। प्रदान की गई टैक्सी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले रोज विधिवत् साफ और धुली होनी चाहिए। यदि डीएसआईआर टैक्सी की कार्य व्यवस्था, इसके रखरखाव तथा साफ-सफाई में संतुष्ट नहीं होता है तो बोलीकर्ता डीएसआईआर द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए तुरन्त एक वैकल्पिक टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में डीएसआईआर का निर्णय अन्तिम होगा और सेवा प्रदाता द्वारा की गई कोई भी आपत्ति करार का उल्लघंन माना जाएगा और इस विभाग द्वारा ऐसे सेवा प्रदाता के साथ दर करार के समापन का भागी होगा।

5. इस प्रकार किया गया करार फर्म द्वारा नियम और शर्तों पर अपनी सहमति देने की तारीख से प्रारम्भ होगा और फर्म को किसी वाणिज्यिक बैंक की ओर से निष्पादन प्रतिभूति के रूप में (अनुबंध-IV) निर्धारित प्रारूप में 50,000/-रू0 की बैंक गारण्टी जमा करानी होगी जिसे करार की अवधि समाप्त होने पर वापिस लिया जा सकेगा। निष्पादन प्रतिभूति दर संविदा की अवधि के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। निष्पादन किया गया करार विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

6. कार्य के सामान्य घण्टे प्रतिदिन 100 कीलोमीटर देरी के लिए 10 घंटे होंगे। अतिरिक्त समय तथा कीलोमीटर प्रभारों का भुगतान अन्तिमरूप दिए गए करार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

7. स्वीकृत मूल्य संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर एवं स्थायी रहेंगे और किसी भी कारण से उनमें होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार उसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगें।

8. करार की अवधि के दौरान सेवाएं संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद केवल दिल्ली के न्यायलयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

9. कोई भी यात्रा शुरू होने के बाद यदि वाहन मे आई किसी खराबी के कारण पूरी नही हो पाती है तो ऐसी स्थिति में, डीएसआईआर बाजार से कोई अन्य टैक्सी किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, भुगतान की आधिक्य राशि सेवा प्रदाता के मासिक बिल से वसूल की जाएगी।

10. टेलीफोन पर ठेकेदार को किसी गाड़ी के खराब होने की सूचना देने पर फर्म को ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह आधे घंटे के भीतर अन्य कार उपलब्ध करा सके। उपलब्ध कराये गये किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में सभी प्रकार के खर्च फर्म द्वारा वहन किये जाएंगें। यदि वाहक किसी दिवस विशेषतौर पर कार उपलब्ध कराने में विफल होता है तो प्रति कार रू0 500/- प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

11. यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा के लिए प्रदान किए गए प्रत्येक वाहन के साथ ऐसे प्रशिक्षित ड्राइवर उपलब्ध कराए, जिनके पास दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षात्मक ढंग से ड्राइविंग करने के कौशल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, ग्राहक के साथ समुचित शिष्ट व्यवहार करने में सक्षम हो, आपरेटिंग उपकरणों में प्रशिक्षित हो और शहर की गलियों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी कि वह ड्राइवरों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 60 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवर स्वीकार्य नहीं होंगे। तैनात किए गए ड्राइवर को टैक्सी में अधिष्ठापित आग बुझाने के पोर्टेबल उपकरणों को आपरेट करने और यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी हो, रात्रि में टार्च अथवा वर्षा आदि के दौरान छतरी के साथ कस्टमर को कार्यालय/अन्य भवन तक साथ आना चाहिए।

12. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर की सुरक्षा जांच का सत्यापन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। तथापि, डीएसआईआर दर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय ड्राइवर के पुलिस सत्यापन कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से गत 5 वर्षों के दौरान ड्राइविंग के दौरान कोई दुर्घटना न हुई हो। ड्राइवर को सेवा से सम्बद्ध वर्दी में होना चाहिए और उपयोगकर्त्ता के साथ शिष्ट व्यवहार बना कर रखना चाहिए।

13. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के दौरान वर्किंग मोबाइल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो खुला रहना चाहिए। ड्राइवर द्वारा किसी दुर्व्यवहार अथवा ड्राइवर के कार्य करने के दौरान पाई गई अन्य कोई कमी के बारे में पता लगने की स्थिति में बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा। ड्राइवर की असंतोषजनक सेवा के बारे में सेवा प्रदाता द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सकता है।

14. उपलब्ध कराया गया ड्राइवर शिक्षित होना चाहिए ताकि वह यात्रा करने वाले अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित यात्रा के प्रत्येक अवसर पर प्रारम्भिक किलोमीटर, अंतिम किलोमीटर, तय की गई दूरी, यात्रा में लगा समय, गंतव्य स्थान आदि के बारे में लॉग बुक में प्रविष्टियां कर सकें और रोजाना अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों का रख-रखाव कर सके।

15. ईंधन पर आने वाली लागत, कारों के अनुरक्षण, मोबाइल फोन के प्रभार तथा ड्राइवर का वेतन आदि बोली दाता द्वारा वहन किया जाएगा और डीएसआईआर द्वारा अलग से कोई प्रभारों की अनुमति नहीं होगी।

16. सेवा प्रदाता को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ईंधन टाइप पर चलने वाली टैक्सी, जिसके लिए मांग की गई थी, की अनुपलब्धता के लिए कोई बहाना अथवा अन्य ईंधन पर वाहन के संचालन के लिए प्रभारों को मंजूर करना स्वीकार्य नहीं होगा।

17. डीएसआईआर को सेवाएं देने के लिए वाहनों के अनुबंध के दौरान सड़क दुर्घटना आदि के कारण, होने वाली कोई क्षति अथवा जख्मी होने की स्थिति में मामले सेवा प्रदाता द्वारा देखे जाएंगे। डीएसआईआर अथवा इसके प्रयोगकर्त्ता को किसी भी रूप में इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण किसी दायित्व के संबंध में अकेले सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

बोली प्रदाता/सेवा प्रदाता डीएसआईआर द्वारा टैक्सी किराये पर लेने के कारण होने वाले कोई अपराधिक अथवा दीवानी देयता के प्रति डीएसआईआर के उपयोक्ताओं को पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

18. सेवा प्रदाता को वाहन के संबंध में हर समय यात्रियों के बीमा सहित उपयुक्त एवं वैध बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है।

19. सीमा पार जाने के लिए टोल टैक्स, प्रवेश कर, परमिट शुल्क, यदि कोई हो, अथवा पार्किंग प्रभार डीएसआईआर द्वारा तभी वहन किए जाएंगे जब मासिक बिल के साथ डीएसआईआर को मूल रसीदें जमा कर दी जाएंगी।

20. डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा के दौरान हर समय वाहन में सभी संबंधित अद्यतन कागज-पत्र उपलब्ध रहने चाहिए। चालक को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए।

21. दर संविदाधारी फर्म कैलेण्डर मास के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए आगामी कैलेण्डर मास के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपने बिल प्रस्तुत करें।

22. किराये पर ली गई टैक्सी के संबंध में समय और दूरी टैक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली से देखी जाएगी और टैक्नोलॉजी भवन पर ही समाप्त होगी।

23. यात्रा ड्यूटी के दौरान तय की गई किलोमीटर/माइलेज मीटर/वास्तविक दूरी के साथ छेड़छाड़ का ड्यूटी के दौरान पता लगने पर इसे गंभीर माना जाएगा और तदनुसार, त्रुटिकर्त्ता फर्म के करार को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी।

24. निजी वाहनों को ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के लिए केवल कमर्शियल परमिट धारी वाहनों को ही भेजा जाना चाहिए। भुगतान के लिए इस विभाग को भेजे जाने वाले बिल में विनिर्दिष्ट वाहन की पंजीकरण संख्या की जब कभी मांग की जाए, परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा।

25. फर्म के पास अपने वाहनों की शीघ्रता-पूर्वक मरम्मत कराने की क्षमता होनी चाहिए। जब कभी विभाग से कोई मांग प्राप्त हो, फर्मों को वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।

26. स्वामी/सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के प्रत्यक्ष टेलीफोन (कार्यालय और निवास) और मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आपात मामलों में टेलीफोन पर बातचीत का होना सुनिश्चित हो सके।

****

डी.एस.आई.आर. की दिनांक ....की करार सूचना संख्या डी-26011/03/2014-सा0प्र0

तकनीकी बोली

क्र0सं0	विवरण	
1.	फर्म/कम्पनी/ऐजेंसी का नाम	
2.	फर्म/कम्पनी/ऐजेंसी का पूरा पता	
3.	दूरभाष संख्या ।	
4.	संलग्न किए जाने वाले पंजीकरण/निगमन प्रमाण-पत्र का वर्ष	
5.	1.4.2015 तक कर्मचारियों की संख्या ।	
6.	31.3.2015 तक वार्षिक कारोबार (प्रमाण सहित)	
7.	15 अंकीय सेवा कर कोड सं. तथा पैन सं.(प्रमाण संलग्न करें) ।	
8.	क्या 25,000/-रूपए की जमा धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश (सं. तथा दिनांक सहित) के रूप में संलग्न है।	
9.	विभागों/मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों का नाम तथा पता, जहां, वर्तमान में, वाहन नियमित/मासिक आधार पर कार्यरत हैं (करार पत्र की स्वतः प्रमाणित और विधिवत् मोहरलगी प्रतियां संलग्न करें)।	
10.	कम से कम तीन सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/निगमों से संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र।	
11.	इस करार से संबंधित जिस व्यक्ति को सभी निर्देश दिए जाएंगे, उस व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता ।	
12.	दूरभाष सं. कार्यालय: आवास:	
13.	मोबाईल सं0	
14.	ऐजेंसी के पास पंजीकृत डीएलवाई टैक्सियां (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतियों सहित) की कुल संख्या	
15.	मालिक का नाम, पता तथा दूरभाष सं.	

2. मैं/हम उक्त करार पूछताछ में दिए गए नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हैं तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:
स्थान:

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम:
पदनाम:
व्यापार का पता:
मुहर:

<u>तकनीकी मापदण्डों के लिए जांच सूची</u>

क्र.सं.	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	हाँ	ना	पृष्ठ सं0	टिप्पणी
1.	पिछले वित्तीय वर्ष में फर्म का वार्षिक टर्नओवर				
2.	सम्पर्क व्यक्ति तथा उनके दूरभाष नम्बरों सहित सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ प्रतिष्ठित निगमित क्षेत्रों में उसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराए गए पिछले अनुभव का ब्यौरा				
3.	सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों/प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों, जहां वर्तमान में वाहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, से संतुष्टि का निष्पादन प्रमाणपत्र।				
4.	फर्म के निगमन के प्रमाण पत्र, पैन सं0 तथा सेवा कर पंजीकरण की प्रतियां				
5.	ऐजेंसी के साथ पंजीकृत डीएलवाई टैक्सियों/कारों की कुल संख्या (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित)				
6.	डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में 25,000/- रूपए की जमा धरोहर राशि				

अनुबंध III

डी.एस.आई.आर. की दिनांक ....की करार सूचना संख्या डी-26011/03/2014-सा0प्र0

<u>वित्तीय बोली</u>

नियमित आधार पर किराए पर डीएलवाई टैक्सियों की आपूर्ति के संबंध में

क्र. सं.	विवरण	छोटी एसी कार के लिए धनराशि (रूपए में) (शब्दों तथा अंकों में) (उदाहरणार्थ टाटा इंडिका/ मारूति वैगन आर)		मध्यम आकार की एसी कार के लिए धनराशि (रूपए में) (शब्दों तथा अंकों में) (उदाहरणार्थ टाटा इंडिगो/मारूति स्विफ्ट डिजायर/ एस एक्स 4/हुंदेई एस्सेंट, टोयोटा इटीयोस/फोर्ड आईकन इत्यादि)	
		डीजल	सीएनजी	डीजल	सीएनजी
1.	मासिक आधार पर लिए गए वाहन के लिए प्रभार। 2500 कि.मी./250 घंटे				
2.	दैनिक (50 कि.मी./5 घंटे)				
3.	दैनिक (100 कि.मी. /10 घंटे)				
4.	क्र0सं0 1,2 एवं 3 के लिए अतिरिक्त कि.मी. हेतु प्रति कि.मी. प्रभार				
5.	क्र0सं0 1,2 एवं 3 के लिए अतिरिक्त घंटे हेतु प्रति घंटा दरें				
6.	रात्रि विश्राम प्रभार (मध्य रात्रि 12.00 के बाद)				
	जोड़				

2. मैं/हम उक्त करार पूछताछ में दिए गए नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हैं तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:

(करारकर्ता के हस्ताक्षर)

टैक्सी स्टैंड/फर्म का नाम
पता तथा दूरभाष सं0 सहित

कार्यालय की स्टैम्प/मुहर